18.10.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष उपस्थित। विप्रार्थी पक्ष अनुपस्थित।

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी पक्ष नें आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया,कि प्रार्थी पक्ष की ओर से जो कदीमी रास्ता प्रस्तावित किया है,उक्ता रास्ता बारहमासी चलनें वाला कदीमी रास्ता आमजन द्वारा आवागमन हेतु लम्बे समय से उपयोग में लिया जा रहा है। लेकिन प्रस्तावित रकबा निजी खातेदारीं में दर्ज है। जिसकी किस्म बा.सो. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है,लेकिन उक्त प्रस्तावित रकबा आमजन के आने जाने हेतु कदीमी रास्ते के रूप में लम्बे समय से उपयोग में आ रहा है। जिसे राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करवानें के लिए आवेदन पेश किया है। राज.पैरोंकार ने अपनी बहस जारी रखतें हुए आगे ओर निवेदन किया कि विप्रार्थी पक्ष भी रास्ता स्वीकृत करवाने पर सहमत है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित रास्तें की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करवानें का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि,आवेदन में प्रस्तावित भूमि की किस्म बा.सो. निजी खातेदारीं मे दर्ज है। प्रस्तावित रास्ता का मौका निरीक्षण किया। जिसमें पाया कि प्रस्तावित रास्ते में से खसरा संख्या 31 व 33 में कदीमी रास्ता नही चल रहा है। जिसके सन्दर्भ में उक्त 31 व 33 नम्बर के खातेदारान् द्वारा पूर्व में अपनी ओर से प्रस्तुत जवाब के तथ्यों में उल्लेखित किया कि उक्त खसरे की भूमि का सहखातेदार के मध्य बंटवाड़ा होना है, बंटवाड़ा होने पर सेढ़े अनुसार मार्ग दे दिया जायेगा, ऐसी स्थिति में नियमानुसार इस खसरे को यथावत रखा जावे। इस कारण खसरा संख्या 31 व 33 में प्रस्तावित रास्ते को छोड़ते हुए शेष खसरान में मौके पर कदीमी रास्ता चल रहा है। अन्य विप्रार्थी पक्ष बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए है। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने में ओर से मौन स्वीकृति हैं। यदि आपति होती तो अवश्य ही अपनी ओर से उजर एतराज पेश करतें। लेकिन शेष विप्रार्थीगण की ओर से ऐसा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन लोकभावना एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:21:18 IST
Reason: SelfAttested